राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—2267 / 2025

सैयद नदीम अली

—अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचातीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 25.03.2025

<u>उपस्थित —</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, डीडवाना, जिला डीडवाना—कुचामन में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 09.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण पंचायत समिति, डीडवाना—नागौर से पंचायत समिति, डेगाना—नागौर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर समायोजित किये जाने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापित जिला गलत दर्शाया गया है। उनका आगे कथन है कि पंचायत समिति, डीडवाना में सहायक विकास अधिकारी के 7 पद स्वीकृत है, जिनमें से 3 पद रिक्त हैं। फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण अन्य पंचायत समिति में किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी सोराईसिस के रोग से ग्रसित है, जिसका निरन्तर ईलाज चल रहा है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)